तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
31-7-24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। हमने प्रार्थना पत्र बाबत आपत्ति विभाजन प्रस्ताव, पर सुनी गई उभयपक्ष अभिभाषकगणों की बहस के कथनों पर मनन किया। प्रार्थी (वादी) अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि पक्षकारों के मध्य पूर्वजों के समय 50 वर्षो से अधिक समय से ही पारिवारिक समझोते के अनुसार भूमि का विभाजन हो रहा था। तथा विभाजन नियम 18 से 21 के अन्तर्गत मौके पर कब्जे के अनुसार विभाजन में भूमि दिया जाना आवश्यक है लेकिन विभाजन में प्रार्थी को जो भूमि देना प्रस्तावित किया है वो पूर्ण रूप से त्रुटिपूर्ण है तथा नियमों के विरूद्ध है। बंटवारा प्रस्ताव में सभी खसरा नम्बरान के टुकडे कर दिये है जिससे यह विभाजन प्रस्ताव पूर्ण रूप से दुर्भावना पूर्ण है। इसमें मौके पर कब्जे का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है। प्रार्थी ने 120 व 411 की भूमि पर ट्यूबवेल लगा रखा है जिससे प्रार्थी सम्पूर्ण खेत की सिंचाई करता है। नियमों में साफ वर्णित है कि जहां तक संभव हो विभाजन में खेतों के टुकडे नहीं किये जावे व भूमि को कान्ट्रेक्ट लाक के रूप में ही रखा जावे। तहसीलदार द्वारा भी दिनांक 11.03.2024 को भेजे विभाजन प्रस्ताव में भी यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि पक्षकारों के आपसी सहमति से पूर्व में ही बंटवारा हो चुका। दावे के जवाब में भी प्रतिवादीगण ने इस तथ्य से इन्कार नहीं किया है। अतः वाद पत्र की मद नम्बर 10 में वर्णित तथा कब्जे के अनुसार उन्हीं खसरा नम्बरान को विभाजन में देते हुये खसरा नम्बर 106, 120 व 411 प्रार्थी के तन्हा खाते दर्ज की जावे। अप्रार्थी (प्रतिवादी) अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि पक्षकारों के मध्य पूर्वजों के समय से कोई मौखिक विभाजन या पारिवारिक समझोता नहीं हो रहा था तथा सभी खातेदार संयुक्त खातेदारी की उक्त भूमियों में संयुक्त रूप से खेती करते आ रहे है। प्रत्येक खसरा नम्बर में प्रत्येक हितबद्ध सहखातेदार का संयुक्त हिस्सा निहित है। इसलिये प्रार्थी की आपत्ति निराधार होने से स्वीकार योग्य नहीं है। खसरा नम्बर 120 की भूमि एन.एच. 148 एन में अवाप्त की जा चुकी है जो सभी खातेदारों को नोटिस देकर जमीन प्राप्त की गई है और वर्तमान में खसरा नम्बर 120 में सडक निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा राजस्व रिकार्ड में भी एन.एच. 148 के नाम दर्ज हो चुकी है। बोरिंग व ट्यूब वेल भी सभी के द्वारा संयुक्त रूप से लगवाया गया है। नियमों के अनुसार बंटवारा रिपोर्ट में अच्छी में से अच्छी व हल्की में से हल्की भूमि के आधार पर विभाजन में आई भूमि की ही विभाजन रिपोर्ट बनाये जाने का प्रावधान है जिसके अनुरूप ही विभाजन रिपोर्ट बनाई गई है। पटवारी व तहसीलदार द्वारा विभाजन रिपोर्ट बनाते समय सभी पक्षकार उपस्थित थे तथा सभी के कब्जे काश्त अनुसार ही विभाजन रिपोर्ट बनाई गई है। संयुक्त खातेदारी की भूमि में पटवारी द्वारा किसी भी काश्तकार का मौके पर कब्जा बताया जाना कानून एवं नियमों के सर्वथा विपरीत है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय नियम 18 से 21 की पालना कर रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा तैयार की गई है जो पूर्णतया सही एवं उचित है। प्रार्थी द्वारा बार बार आपत्ति पेश करके न्यायालय का	सहायक कलक्टर (मुख्यालय) [stamp] Contd----

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

कीमती समय बर्बाद किया जा रहा है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र भारी हर्जे खर्चे पर खारिज फरमाया जावे।

हमने उपरोक्तानुसार सुनी गई बहस के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया जिसके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से पेश जवाब दावे में भी सभी खसरा नम्बर में से 1/3 हिस्सा कायम किये जाने का अनुतोष चाहा गया थां। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर से प्रतिप्रेषित होकर प्राप्त होने के बाद निर्देशानुसार न्यायालय द्वारा राजस्व विभाजन नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु तहसीलदार, लाडपुरा से निम्न निर्देशों की पालना करते हुये विभाजन प्रस्ताव चाहे गये थे –

1- समस्त प्रभावित पक्षकारों को मौके पर उपस्थित रहने हेतु नोटिस जारी किये जावें।
2- तहसीलदार स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर उभयपक्षकारान तथा गवाहों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें, जिसमें –
(i) प्रत्येक पक्षकार को उसके हिस्से के अनुपातिक भाग दिया जावे।
(ii) प्रत्येक पक्षकार को आवंटित भाग यथासंभव एकसाथ (Compact) हो।
(iii) जहॉ तक संभव हो, किसी पक्षकार को सारी हल्की या सारी उत्तम कोटि की भूमि नहीं दी जावे।
(iv) जहॉ तक संभव हो विद्यमान खेतों के टुकडे नहीं किये जावें।
(v) आराजी जो किसी पक्षकार के अलग कब्जे में है, यथासंभव, उपको उस पक्षकार को आवंटित किया जावेगा, यदि वे उसके हिस्से से अधिक न हो।
3- तहसीलदार द्वारा नक्शा बनाया जावे और उसे अभिलेख पर रखा जावे, जिसमें प्रत्येक पक्षकार को दी गई आराजी अलग अलग रंगों में दिखाई जावे और यदि किसी खसरा नम्बर को उप विभाजित किया गया है तो पक्षकारों के खर्चे पर उनके भाग को चिन्हित/अंकित किया जावे।
4- उपस्थित गवाहान से जानकारी कर इस बात की पुष्टि की जावे कि विवादित आराजी किस–किस खसरा नम्बर पर पर कौन पक्षकार कब से काबिज काश्त है और किस आधार पर काबिज है।

उपरोक्त निर्देशों की पालना में तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा उनके पत्र क्रमांक 2044 दिनांक 07.10.2020 से विभाजन प्रस्ताव भिजवाया गया था जिस पर प्रार्थी (वादी) की ओर से पेश आपत्ति के आधार पर पुनः विभाजन प्रस्ताव चाहा गया जो तहसीलदार द्वारा उनके पत्र क्रमांक विधि/2024/1122 दिनांक 11.03.2024 से भिजवाया गया। इस विभाजन प्रस्ताव पर भी आपत्ति करते हुये प्रार्थी (वादी) द्वारा यह (प्रस्तुत) प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसे तैयार किये जाने के दौरान वादी व अन्य पक्षकार उपस्थित थे तथा प्रकरण में जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.06.2017 की अनुपालना में ही विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है।

ज्ञातव्य है कि राजस्व विभाजन नियम 18 से 21 की पालना करते हुये यदि सभी पक्षकारान की सहमति हो तो मौके पर कब्जे के अनुसार विभाजन प्रस्ताव बनाया जाना न्यायोचित होता है, जिससे काश्तकारों को भी सहूलियत रहती है तथा खसरे के टुकडे भी नहीं

16

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
होते है। यह तभी संभव हो पाता है जब सभी सहआसामी सहमत हो अन्यथा Meats and bounds के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाता है। वादी की ओर से एक ही बिन्दु पर बार बार आपत्ति प्रस्तुत किये जाने के कारण तहसीलदार द्वारा उनके पत्र क्रमांक विधि/2024/1122 दिनांक 11.03.2024 से प्रेषित विभाजन प्रस्ताव ही न्यायोचित है क्योंकि जिन खसरा नम्बर 106 व 120 के टुकडे किये गये है वह आराजी पहले से ही (already) अधिग्रहित हो चुकी है तथा खसरा नम्बर 411 की सम्पूर्ण 0.88 हैक्टर आराजी वादी को ही दी गई है। साथ ही वादी के कब्जे की आराजी कम होने पर उसकी पूर्ति हेतु खसरा नम्बर 96/2 (दक्षिण) की 0.067 हैक्टर, 97 की 0.0467 हैक्टर व 448/1 (पूर्व) की 0.8267 हैक्टर अतिरिक्त आराजी वादी को दी गई है। विभाजन प्रस्तावानुसार गोपालपुरा के खसरा नम्बर 448 व बीलखेडी के खसरा नम्बर 5 दोनों सहखातेदारों को रास्ता भी दिया गया है ताकि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। अतः प्रार्थी (वादी) की ओर से पेश विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाने तथा तहसीलदार द्वारा उनके पत्र क्रमांक विधि/2024/1122 दिनांक 11.03.2024 से प्रेषित विभाजन प्रस्ताव अनुसार प्रकरण की फाईनल डिक्री जारी किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। फाई डिक्री पर्चा जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

फाइनल डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

: 18/22

नालाल आत्मज श्री किशना जी, जाति बलाई, निवासी ग्राम गोपालपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

बनाम

1. लटूर पुत्र घांसी (मृतक) जर्ये कायम मुकामान –
1/1 श्रीमती दाखा पत्नी स्व. लटूरलाल
1/2 हंसराज पुत्र स्व. लटूरलाल
1/3 धनप्रकाश स्व. लटूरलाल
1/4 मुलकराज स्व. लटूरलाल
1/5 शोभाराम स्व. लटूरलाल
1/6 मुकुट विहारी स्व. लटूरलाल
जाति बलाई, निवासी ग्राम गोपालपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (वादी)

2. नन्दू पुत्री घांसी पत्नी चन्द्रा (मृतक) जर्ये कायम मुकामान
2/1–2 पप्पू, मोहनलाल पुत्रान चन्द्रा, जाति बलाई, निवासी जामूड, तहसील व जिला बून्दी
2/3 सुगना बाई पुत्री चन्द्रा पत्नी गागूलाल, जाति बलाई, निवासी ग्राम तुलसी, तहसील व जिला बून्दी
3 दुर्गालाल आत्मज कान्हा जी जाति बलाई निवासी केवल नगर तहसील लाड़पुरा जिला कोटा
4. हेमराज आत्मज कान्हा जी जाति बलाई निवासी छावनी रामचन्द्रपुरा कोटा
5. बृजमोहन आत्मज कान्हा जी जाति बलाई निवासी नई बस्ती मंडाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा
6. अनोख बाई पुत्री कान्हा जी जाति बलाई पत्नी श्री रामकल्याण जी निवासी ढोटी तहसील सांगोद, कोटा
7. भूरा बाई पुत्री कान्हा जी जाति बलाई धर्म पत्नी मथुरालाल निवासी खुसालीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा
8. काली बाई पुत्री कान्हा जी जाति बलाई धर्म पत्नी नन्दकिशोर जी निवासी ग्राम हिंगोनिया तहसील सांगोद
9. मन्जू बाई पुत्री कान्हा जी जाति बलाई पत्नी लटूर जी निवासी ग्राम कुरी तह0 खानपुर जिला झालावाड
10. हजारीलाल आत्मज स्व0 किशना जी पत्नी लाला जी जाति बलाई निवासी दरा तहसील लाडपुरा, कोटा
11. कजोडी पुत्री स्व0 श्री किशना जी पत्नी लाला जी जाति बलाई निवासी दरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
12. कस्तुरी पुत्री स्व0 किशना जी जाति बलाई पत्नी रामचन्द्रजी निवासी सुहाणा तहसील दीगोद जिला कोटा
13. केशर पुत्र स्व0 श्री किशना जी जाति बलाई पत्नी देवकरण जी निवासी ताथेड तहसील लाडपुरा, कोटा
14. भूली बाई पुत्री स्व0 किशना, जाति बलाई पत्नी लटूरलाल, निवासी म.नं. 19 चम्बल कोलोनी मालारोड कोटा
15. दाखा पुत्री स्व0 श्री किशना जी जाति बलाई पत्नी श्री बिरधीलाल, निवासी ग्राम खुशालीपुरा तह. सांगोद
16. कांति पुत्री स्व0 किशना जी जाति बलाई पत्नी स्व0 मोडूलाल जी निवासी ग्राम रेंलगांव तहसील दीगोद
17. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
18. संजय पुत्र रमेशचन्द, जाति मेहर द्वारा रिद्धि सिद्धि कॉलोनाईजर, 214, केशवपुरा रंगवाडी रोड, कोटा

– (प्रतिवादीगण)

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 आर.टी. एक्ट

दिनांक : 31.07.2024

प्रकरण संख्या : 18/22

इस न्यायालय के विचाराधीन प्रकरण संख्या 18/22 बउनवान जमनालाल बनाम लटूर के निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 16.06.2017 की पालना में तहसीलदार लाडपुरा, जिला कोटा के पत्र क्रमांक 1122 दिनांक 11.03.2024 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर ग्राम बीलखेडी एवं ग्राम गोपालपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवादित आराजी को निम्नानुसार अलग–अलग खाते में दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	ग्राम	ख0नं0	रकबा		किस्म
1	जमनालाल पुत्र किशना, जाति बलाई	गोपालपुरा, खाता सं. 219	106 पूर्व	0.0700	हैक्टर	चाही उत्तम
			96/2 दक्षिण	0.0467	हैक्टर	चाही उत्तम
			97 उत्तर	0.0467	हैक्टर	चाही उत्तम
		गोपालपुरा, खाता सं. 78	120 उत्तर	0.3767	हैक्टर	माल प्रथम
			411	0.8800	हैक्टर	बारानी प्रथम
			448/1 पूर्व	0.8267	हैक्टर	बारानी प्रथम
		योग	किता 6	2.2468	हैक्टर	

Contd.....2

ACM (HQ) Kota

क्र. सं.	नाम खातेदार	ग्राम	ख0नं0	रकबा		किस्म
2	किशना पुत्र धूल्या	बीलखेडी खाता सं. 134	5/1 दक्षिण	0.1266	हैक्टर	बारानी प्रथम
		योग	किता 1	0.1266	हैक्टर	
3	संजय पुत्र रमेशचन्द, जाति बलाई	गोपालपुरा, खाता सं. 219	106/1 मध्य	0.0700	हैक्टर	चाही उत्तम
			96 उत्तर	0.0467	हैक्टर	चाही उत्तम
			97/2 दक्षिण	0.0466	हैक्टर	चाही उत्तम
		योग	किता 3	0.1633	हैक्टर	
4	धनप्रकाश, मुकुट बिहारी, मुल्कराज, शोभाराम, हंसराज पुत्रान लदूर, दाखां बाई पत्नी लदूर हिस्सा 1/2, जाति बलाई, नन्दू पुत्री छीतर हिस्सा 1/2, जाति बलाई	गोपालपुरा, खाता सं. 219	106/2 पश्चिम	0.0700	हैक्टर	चाही उत्तम
			96/1 मध्य	0.0466	हैक्टर	चाही उत्तम
			97/1 मध्य	0.0467	हैक्टर	चाही उत्तम
		गोपालपुरा, खाता सं. 78	120/2 दक्षिण	0.3766	हैक्टर	माल प्रथम
			289	0.2000	हैक्टर	माल द्वितीय
		बीलखेडी खाता 134	5 उत्तर	1.6334	हैक्टर	बारानी प्रथम
		योग	किता 6	2.3733	हैक्टर	
5	दुर्गालाल, बृजमोहन, हेमराज पुत्रान कान्हा, जाति बलाई	गोपालपुरा, खाता सं. 78	120/1 मध्य	0.3767	हैक्टर	माल प्रथम
			448 पश्चिम	1.8333	हैक्टर	बारानी प्रथम
		योग	किता 2	2.2100		

निज .....x..... मुबालिक ..... x ..... बाबत ..... x ..... इस मुकदमा के मय सूद बारह ....x ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....x ..... बाद करूंगा।

यह फाईनल डिक्री मेरे द्वारा लिखवाई और टंकित करवाई जाकर मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 31 जुलाई, 2024 को जारी की गई।

31/7/24

(श्रीमती सपना कुमारी)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	प्रतिवादी	रूपये
1.वादपत्र के लिये स्टाम्प 2शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिये स्टाम्प 4.....रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों केलिये निर्वाह व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामील		शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प अर्जी के लिये स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	